भारत सरकार
रसायन और उर्वरक मंत्रालय
औषध विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 1148
दिनांक 25 जुलाई, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

अधिक कीमत पर दवाओं की बिक्री

1148. श्री कीर्ति आज़ादः
श्री चन्द्र प्रकाश चौधरीः
श्री सनातन पांडेयः

क्या **रसायन और उर्वरक** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ दवा कंपनियाँ राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक कीमत पर दवाएँ बेच रही हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या एनपीपीए ने आज तक ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कोई कार्रवाई की है या नोटिस जारी किए हैं; और
(घ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उसके क्या परिणाम हुए?

उत्तर

रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री (श्रीमती अनुप्रिया पटेल)

(क) से (घ): राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) दवाओं के मूल्यों की निरंतर निगरानी करता है और जहाँ कहीं भी औषध कंपनियां दवाईयों की बिक्री में उपभोक्ताओं से अधिप्रभारन करती हुई पाई जाती हैं, वह औषधि (मूल्य नियंत्रण) आदेश, 2013 के प्रावधानों के अनुसार ऐसी कंपनियों के विरुद्ध कार्रवाई प्रारम्भ करता है।

दिनांक 31.3.1979 से 31.3.2025 की अवधि के दौरान, एनपीपीए ने अधिप्रभारन के 2,605 मामलों में कार्रवाई की है, जिसमें ब्याज और जुर्माना सहित 9,950.10 करोड़ रुपए की अधिप्रभारन की राशि शामिल है। उक्त अवधि के दौरान, इन मामलों में संबंधित कंपनियों से 1,418.80 करोड़ रुपए की धनराशि वसूल की गई है। एनपीपीए ने सूचित किया है कि वह अधिप्रभारन के मामलों के राज्य-वार आंकड़ें नहीं रखता है। तथापि, अधिप्रभारन के ऐसे मामलों की विस्तृत सूची, जहाँ माँग नोटिस जारी किए गए हैं, एनपीपीए की वेबसाइट (www.nppa.gov.in) पर उपलब्ध है।

*****